

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 97]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 13, 2016/पौष 23, 1937

No. 97]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 13, 2016/ PAUSA 23, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2016

का. आ. 111(अ).—चूंकि, आय पर तथा संपत्ति (पूँजी) पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा बेलारूस गणराज्य की सरकार के बीच 27 सितंबर, 1997 के करार को संशोधित करने वाले एक प्रोटोकॉल (जिसे इसके बाद उक्त प्रोटोकॉल कहा गया है), जैसा कि इस अधिसूचना के अनुबंध में दिया गया है, पर मिन्स्क, बेलारूस में 3 जून, 2015 को हस्ताक्षर किए गए थे;

और जबकि, उक्त प्रोटोकॉल के प्रवृत्त होने की तारीख 19 नवंबर, 2015 है, जो कि अनुच्छेद 2 के पैराग्राफ 1 के अनुसार, उक्त प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करने वाली अधिसूचनाओं में से बाद की अधिसूचना की तारीख है।

और चूंकि कथित प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 2 के पैराग्राफ 2 में प्रावधान है कि इसके उपबंध इस प्रोटोकॉल के प्रवृत्त होने की तारीख से प्रभावी होंगे;

इसलिए, अब आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि इसके साथ संलग्न उपर्युक्त प्रोटोकॉल के सभी उपबंध भारत संघ में दिनांक 19 नवंबर, 2015 से लागू होंगे।

[अधिसूचना सं. 2/2016/फा. सं.501/07/1999-एफटीडी-I]

अखिलेश रंजन, संयुक्त सचिव

**आय पर तथा संपत्ति (पूंजी) पर करों के संबंध में
दोहरे कराधान के परिहार तथा वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए
भारत गणराज्य की सरकार तथा बेलारूस गणराज्य की सरकार के बीच
करार का 27 सितंबर, 1997 का संशोधकारी प्रोटोकॉल।**

भारत गणराज्य की सरकार

तथा

बेलारूस गणराज्य की सरकार;

आय पर तथा संपत्ति (पूंजी) पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा बेलारूस गणराज्य की सरकार के बीच करार को संशोधित करने के लिए एक प्रोटोकॉल (इसे इसके बाद प्रोटोकॉल कहा जायेगा), जिस पर नई दिल्ली में 27 सितंबर, 1997 को हस्ताक्षर किये गये थे (इसे इसके बाद 'करार' जायेगा) निष्पन्न करने की इच्छा से,

इस प्रकार सहमत हुए हैं:

अनुच्छेद 1

करार के अनुच्छेद 27 को हटाया जाएगा और निम्नलिखित अनुच्छेद से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“अनुच्छेद 27

सूचना का आदान-प्रदान

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना (दस्तावेजों अथवा कर प्राधिकारियों/सक्षम प्राधिकारी द्वारा दस्तावेजों की अधिप्रमाणित प्रतियों सहित) का आदान-प्रदान करेंगे जो कि इस करार के उपबंधों को अथवा संविदाकारी राज्यों अथवा उनके राजनैतिक उप-प्रभागों अथवा स्थानीय प्राधिकरणों की ओर से लगाए गए प्रत्येक प्रकार एवं विवरण के करों के संबंध में घरेलू कानूनों के प्रशासन अथवा प्रवर्तन को क्रियान्वित करने के लिए अनुमानतः संगत हैं, जहां तक कि उनके अधीन कराधान व्यवस्था इस करार के प्रतिकूल नहीं है। सूचना का आदान-प्रदान अनुच्छेद 1 और 2 से प्रतिबंधित नहीं है।

2. संविदाकारी राज्य द्वारा इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के अंतर्गत प्राप्त की गई कोई सूचना उस राज्य के आंतरिक कानूनों के अंतर्गत प्राप्त सूचना के समान ही गुप्त समझी जाएगी और उसे केवल उन व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (जिसमें न्यायालय, प्रशासनिक निकाय, सीमाशुल्क, कानून प्रवर्तन एवं जांच प्राधिकरण शामिल हैं) को प्रकट किया जाएगा जो इस अनुच्छेद के

पैराग्राफ 1 में उल्लिखित करें के संबंध में करें का निर्धारण या उनकी वसूली करने, उनके प्रवर्तन अथवा अभियोजन के संबंध में अथवा अपीलों का निर्धारण करने या उपर्युक्त की चूक से संबद्ध हो। ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी सूचना का उपयोग केवल ऐसे ही प्रयोजन के लिए करेंगे। वे इस सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाहियों अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे।

भले ही पूर्वोक्त सूचनाओं में कुछ भी कहा गया हो, संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई सूचनाएं दूसरे प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जा सकती हैं, जब ऐसी सूचनाओं का प्रयोग दोनों संविदाकारी राज्यों के कानूनों के तहत ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए किया जा सकता हो।

3. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डालना नहीं होगा:

- क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा से हटकर प्रशासनिक उपाय करना ;
- ख) ऐसी सूचनाओं की आपूर्ति करना जो उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं है;
- ग) ऐसी सूचनाओं की आपूर्ति करना जिससे कोई व्यापार, कारोबार, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक, गुप्त अथवा व्यापार प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो, जिसको प्रकट करना सार्वजनिक नीति के प्रतिकूल हो।

4. इस अनुच्छेद के अनुसरण में यदि किसी संविदाकारी राज्य द्वारा किसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया जाता है तो दूसरा संविदाकारी राज्य अनुरोध की गई जानकारी को प्राप्त करने के लिए अपनी सूचना एकत्र करने वाले उपायों का उपयोग करेगा, चाहे उस दूसरे संविदाकारी राज्य को अपने स्वयं के कर प्रयोजनों के लिए ऐसी सूचना की कोई आवश्यकता न हो। पिछले वाक्य में अन्तर्निहित दायित्व पैराग्राफ 3 की सीमाओं के अधीन है, किन्तु किसी भी स्थिति में ऐसी सीमाओं का यह अर्थ नहीं होगा कि संविदाकारी राज्य केवल इसलिए सूचना की आपूर्ति करने से मना करते हैं कि ऐसी सूचना में उसका कोई आंतरिक हित नहीं है।

5. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 3 के उपबंधों का अर्थ केवल इसलिए सूचना की आपूर्ति करने से मना करने के लिए किसी संविदाकारी राज्य को अनुमति देने के लिए नहीं लगाया जाएगा कि सूचना किसी बैंक, अन्य वित्तीय संस्थान, किसी एजेंसी या किसी न्यासी क्षमता में कार्यरत नामिती या व्यक्ति के पास है या यह किसी व्यक्ति के स्वामित्व हित से संबंधित है”।

अनुच्छेद 2

1. संविदाकारी राज्य एक दूसरे को राजनयिक माध्यमों से अधिसूचित करेंगे कि इस नयाचार को लागू करने के लिए सभी कानूनी अपेक्षाएं एवं क्रियाविधियां पूरी कर ली गयी हैं।
2. यह नयाचार इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में उल्लिखित अधिसूचनाओं की परवर्ती तारीख को लागू होगा तब तक लागू रहेगा जब तक यह करार लागू रहेगा तथा इसके प्रावधान इसके बाद प्रभावी होंगे।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

मिंस्क में 3 जून, 2015 तारीख को हिन्दी, बेलारूसियन और अंग्रेजी में दो मूल प्रतियों में निष्पादित, सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक। पाठों में भिन्नता की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ प्रभावी माना जाएगा।

भारत गणराज्य की सरकार की ओर से

बेलारूस गणराज्य की सरकार की ओर से

(मनोज कुमार भारती)

बेलारूस में भारत के राजदूत
मिंस्क

(सर्गेई ई. नलिवाइको)

करों और शुल्कों के मंत्री
मिंस्क

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th January, 2016

S.O. 111(E).—Whereas, a Protocol amending the agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Belarus for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on property (Capital) of the 27th September, 1997 (hereinafter referred to as the said Protocol) as set out in the Annexure to this notification, was signed at Minsk, Belarus on the 3rd June, 2015;

And whereas, the date of entry into force of the said Protocol is the 19th November, 2015, being the date of the latter of the notifications of completion of the legal requirement and procedures for giving effect to the said Protocol in accordance with paragraph 1 of Article 2;

And whereas, paragraph 2 of Article 2 of the said Protocol provides that the provisions of the same shall have effect forthwith from the date of entry into force;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies that all the provisions of the said Protocol annexed hereto, shall be given effect to in the Union of India with effect from the 19th November, 2015.

[Notification No. 2/2016/F.No. 501/07/1999-FTD-I]

AKHILESH RANJAN, Jt. Secy.

**PROTOCOL AMENDING THE AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS FOR THE AVOIDANCE OF
DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES
ON INCOME AND ON PROPERTY (CAPITAL) OF THE 27th OF SEPTEMBER, 1997**

The Government of the Republic of India

and

The Government of the Republic of Belarus;

Desiring to conclude a Protocol (hereinafter referred to as “Protocol”) to amend the Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Belarus for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and on Property (Capital), which was signed at New Delhi on 27th September, 1997 (hereinafter referred to as “the Agreement”),

Have agreed as follows:

ARTICLE 1

Article 27 of the Agreement shall be deleted and replaced by the following Article:

“Article 27

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information (including documents or copies of documents certified by the tax authorities/the competent authority) as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Agreement or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2.
2. Any information received under paragraph 1 of this Article by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts, administrative bodies, customs, law-enforcement and investigative authorities) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to, the taxes referred to in paragraph 1 of this Article, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

Notwithstanding the foregoing, information received by a Contracting State may be used for other purposes when such information may be used for such other purposes under the laws of both Contracting States.

3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;

b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information the disclosure of which would be contrary to public policy.

4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other Contracting State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.

5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.”

ARTICLE 2

1. The Contracting States shall notify each other, through diplomatic channels, that all legal requirements and procedures for giving effect to this Protocol have been satisfied.

2. This Protocol shall enter into force on the date of the latter of these notifications referred to in paragraph 1 of this Article, shall remain in force as long as the Agreement remains in force and its provisions shall have effect forthwith.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorised thereto, have signed this Protocol.

DONE in duplicate at Minsk on 3 June 2015 in the Hindi, Belarusian, and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence between the texts the English text shall prevail.

**For The Government of
The Republic of India**

(Manoj Kumar Bharti)
Ambassador of India to Belarus
Minsk

**For The Government of
The Republic of Belarus**

(Sergei E. Nalivaiko)
Minister of Taxes and Duties
of the Republic of Belarus
Minsk